निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 103/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

केनरा बैंक शाखा बजरंग विहार, जैतपुरा, सीकर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स रामचन्द्र कृषि यन्त्र उद्योग
2. श्री राजीव जांगिड

   124 पावर हाउदस के सामने मोरीजा रोड चौमू जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः—श्री नरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 9.9.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 29.09.2015 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स 124 पावर हाउस के सामने, मोरीजा रोड, चौमू स्थित स्टॉक एवं फिनिश्ड गुड्स, कच्चा माल और अर्द्ध निर्मित माल कृषि यंत्र को हाईपोथीकेटेड कर कर कुल 40,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.01.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड स्टॉक का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है। प्रकरण में अजय ने मय अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार के उपस्थित हो कर वकतालनाता व प्रार्थना पत्र पेश किया।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.01.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई हैं। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 29.09.2015 को अप्रार्थी रामचन्द्र कृषि यन्त्र उद्योग को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जबकि अजय जांगिड ने दिनांक 08.01.2019 को अपंजीकृत इकरारानामा के आधार पर सम्पत्ति कय करना बताया है, इसलिए अजय जांगिड का कथन मान्य नही है। The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में मैसर्स 124 पावर हाउस के सामने, मोरीजा रोड, चौमू स्थित एवं बैंक के पक्ष में हाईपोथीकेटेड स्टॉक एवं फिनिश्ड गुड्स, कच्चा माल और अर्द्ध निर्मित माल कृषि यंत्र का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 9.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जुगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर